राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

<u>कोर्स रिपोर्ट</u>

इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 24.04.2017 से 28.04.2017 तक ''इन्वेस्टिगेशन ऑफ इकोनोमिक ऑफेंसेज'' विषय पर पॉच दिवसीय कोर्स का आयोजन किया गया। इस कोर्स में राजस्थान पुलिस के 11 निरीक्षक पुलिस एवं 22 उप निरीक्षक पुलिस स्तर के अर्थात् कुल 33 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री एम.एम.अत्रे, आई.जी.पी.(सेवानिवृत्त) ने धोखाधड़ी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यास भंग आदि के अपराधों के बारे में विस्तार से बताते हुए अनुसंधान के दौरान ली जाने वाली साक्ष्य तथा ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में बताया। श्री आर.एस. बत्रा, आर.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा जमीन संबंधी विवादों के संबंध में व्याख्यान दिया गया। श्री डी.सी. जैन, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (सर्तकता), राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रतिभागियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं आय से अधिक सम्पति के मामलों में अनुसंधान के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को इस प्रकार के अपराधों में विशेषज्ञों से प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् अनुसंधान में आगे बढने का संदेश दिया। श्री आर.सी.शर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आर्थिक अपराधों की वर्तमान स्थिति के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण के बारे में बताया।

श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, आर.पी.ए. ने मादक द्रव्य एवं स्वापक औषधि अधिनियम में वित्तीय अनुसंधान एवं अपराधों निवारण एवं रोकथाम पर व्याख्यान दिया। श्री आर.एस. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर ने डिजिटल साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परीक्षण के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री उत्पल गांगुली, मैनेंजर, डी.एन.बी.एस., रिजर्व बैंक, जयपुर ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 और यू.आई.बी. के द्वारा जमा की स्वीकृति निषेध पर व्याख्यान दिया।

श्री योगेन्द्र जोशी, अति. पुलिस अधीक्षक (सेवानिवृत) ने आर्थिक अपराधों से सम्बन्धी कानूनों के बारे में बताया। श्रीमती ज्योती शर्मा, डिप्टी जनरल मैनेंजर सेबी ने सुरक्षा बाजार की बुनियादी अवधारणा, सेबी द्वारा जांच व प्रवर्तन एवं गैर कानूनी व्यापार और धन जुटाने की अवैध योजना पर व्याख्यान दिया। श्री परमेन्द्र सिंह,पुलिस निरीक्षक, साईबर पुलिस थाना एस.सी.आर.बी., जयपुर ने इन्टरनेट के माध्यम से किये जाने वाले आर्थिक अपराधों, बैंकिग एवं वित्तीय अपराधों के अनुसंधान के बारे में बताया। श्री विवेक श्रीवास्तव, अधीक्षक सेन्ट्रल कस्टम एण्ड सर्विस टैक्स डिपार्टमेन्ट, जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग के क्षेत्र में संगठित अपराधों के सम्बन्ध में व्याख्यान प्रस्तुत किया।

श्री नीरज माथुर ने ऑन लाईन बैंकिग अपराधों के बारे में बताते हुए इस प्रकार के अपराध को रोकने, उनका पता लगाने तथा अनुसंधान के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। डॉ. महेन्द्र पीपलीवाल, ए.डी.पी. आर.पी.ए., ने आर्थिक अपराधों पर महत्वपूर्ण केस स्टडी के बारे में बताया। श्री हेमन्त नाहटा, एडवोकेट जयपुर ने विमुद्रीकरण का वर्तमान परिपेक्ष्य में क्या प्रभाव है और आर्थिक अपराधों में इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी।

कोर्स के समापन सत्र में श्री बीजू जार्ज जोसफ, महानिरीक्षक पुलिस, ए.टी.एस., जयपुर ने संगठित अपराधों की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करते हुए अनुसंधान अधिकारियों को ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातों के बारे में बताया एवं प्रतिभागियों को प्रमाण-प्रत्र भी वितरित किये।